फौज.प्र.क. : 1014 / 2014

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

> फौज.प्र.क. : 1014 / 2014 संस्थित दि: 31 / 10 / 14

| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र वि | बेरसा, | |
|---|--------|---------|
| जिला बालाघाट (म.प्र.) | | अभियोगी |

निवासी कैण्डाटोला थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

अनिल पिता लालसिंह उइके, उम्र 25 साल जाति गोंड,

<u> -:: निर्णय ::</u>-

(आज दिनांक 31/10/2014 को घोषित किया गया)

- आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि (01)आरोपी दिनांक 16.10.2014 को समय 06:20 बजे स्थान कैण्डाटोला आइंडिया ढाबा थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 15 पाव देशी प्लेन शराब एवं पांच पाव अंग्रेजी गोवा शराब तथा अंग्रेजी आर.एस. 03 पाव शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाया गया।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार दिनांक 16.10.2014 को हमराह स्टाप के साथ कस्बा भ्रमण के लिये रवाना हुआ तो उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैण्डाटोला आईडिया के ढाबा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखे हुये है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 15 पाव देशी प्लेन शराब एवं पांच पाव अंग्रेजी गोवा शराब तथा अंग्रेजी आर.एस. 03 पाव शराब अवैध रूप से पायी गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम

फौज.प्र.क. : 1014 / 2014

की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 134/14 लेखबद्ध कर आवकश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 16.10.2014 को समय 06:20 बजे स्थान कैण्डाटोला आइडिया ढाबा थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 15 पाव देशी प्लेन शराब एवं पांच पाव अंग्रेजी गोवा शराब तथा अंग्रेजी आर.एस. 03 पाव शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::–

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाम दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 2000 / — रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से

फौज.प्र.क. : 1014 / 2014

दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड की राशि अ**दा न** करने के व्यतिक्रम में आरोपी को **एक माह** (09)के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

प्रकरण में जप्तशुदा 15 पाव देशी प्लेन शराब एवं पांच पाव अंग्रेजी (10) गोवा शराब तथा अंग्रेजी आर.एस. 03 पाव शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,

